



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245594
CG-DL-E-02052023-245594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1913]
No. 1913]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/VAISAKHA 12, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

का.आ. 2001(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, डॉ. सुब्रत सिन्हा, पूर्व प्रोफेसर और एचओडी, जैव रसायन विभाग, एम्स नई दिल्ली, को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/126/2020-पीएमएसएसवाई-IV]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, 28th April, 2023

S.O. 2001(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr.Subrata Sinha, Ex-Professor & HOD, Department of Biochemistry, AIIMS New Delhi as President of All India Institute of Medical Sciences, Patna.

[F. No. Z-28016/126/2020-PMSSY-IV]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.